अधिसूचना नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2018

सा.का.नि.1102 (अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 124 की उप-धारा (1) के साथ पठित, धारा 132 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद् द्वारा न्यासी बोर्ड द्वारा प्रारादीप पत्तन न्यास के लिए बनाये गये तथा इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में निर्धारित पारादीप पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2018 को अनुमोदित करती है।

2. उक्त संशोधित विनियम सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

अनुसूची

महापत्नन न्याम अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्न शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारादीप पत्नन न्यास का न्यामी बोर्ड एनद्वारा पारादीप पत्नन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्टता और पदोन्नति) के विनियम, 2011 को आग मंशोधित करने हेतु निम्नतिषित विनियम बनाता है. नामत: -

- मंश्रिम शीर्ष तथा प्रारम्भ:- (1) इन विनियमों को पारादीप पत्नन न्याम कर्मचारी (मर्ती, विरिष्ठता और पदोन्नित) मंशोधन विनियम, 2018 कहा जायेगा।
- (2) ये विनियम, महापत्तन न्याम अधिनियम 1963 की धारा 124 और 132 के प्रावधानों के अनंगेत यथापेक्षित केन्द्र सरकार के अनुमोदन के शामकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में प्रभावी होंगे।
 - पारादीप पत्तन न्याम कर्मचारी (मर्ती, बरिष्ठता और पदोन्तित) विनियम, 2011 के विनियम 3 में, अनुच्छेद (ट) के बाद, निम्निविधित अनुच्छेद जोड़ा जाए, नामत: -
 - (टा) 'नियमित सेवा' किसी भी क्षेणी के संबंध में, का अर्थ है उक्त येणी की नियमित नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वितियमों के तहत उसमें चयन एवं नियुक्ति के बाद की गई सेवा की अविधि या अविधियां और इसमें कोई भी अविधि या अविधियां शामिल होंगी-
 - (i) विनियमों को अधिमूचित करने के समय, जो पहले से ही मैबारत हैं, उनके मामले में विरिष्ठता के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए;
 - (ii) जिसके दौरान कोई कर्मचारी उक्त श्रेणी का कोई पद धारित किए हुए होता लेकिन छुट्टी पर रहने या अन्य कारणों में ऐसा पद धारित करने के लिए उपलब्ध न हुआ हो:"

[फा.मं. पीआर-12012/9/2016-पीई-।] कैलाश कुमार अग्रवाल, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी: मुख्य विनियम को सख्या सा. का. नि. 386 (अ) दिनांक 12 मई, 2011 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था तथा तत्पश्चात् संख्या सा.का.नि. 819 (ई) दिनांक 30 अक्तूबर, 2015 के तहत संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th November, 2018

G.S.R. 1102 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 124, read with sub-section (1) section 132 of the Major Port Trusts Act. 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves with modification the Paradip Port Trust Employees (Recruitment Seniority and Promotion) Amendment Regulation, 2018, made by the Board of Trustees for the Port of Paradip, as set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said amendment regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred by section 28 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Paradip Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2011, namely:

- Short Title and commencement. (1) These regulations may be called the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government, as required under the provisions of section 124 and 132 of Major Port Trust Act, 1963, in the Gazette of India.
- In the Paradip Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Pormotion) Regulations, 2011, in regulation 3, after clause (k), the following clause shall be inserted namely:
 - (ka) "regular service", in relation to any grade, means the period or periods of service in that grade rendered after selection and appointment thereto under the regulations according to the prescribed procedure for regular appointment to that grade and includes any period or periods-
 - taken into account for the purpose of seniority in case of those already in service at the time of notification of the regulations;
 - during which an employee would have held a post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such post;".

[F.No. PR-12012/9/2016-PE-I] KAILASH KUMAR AGGARWAL, Jt. Secy.

Footnote: The Principal regulations were published in the Gazette of India, extraordinary, vide number G.S.R. 386 (E) dated the 12th May, 2011 and was subsequently amended vide number G.S.R. 819(E) dated the 30th October. 2015.